

Classifieds

Public Notice: It is for general information that I, VJENDER KUMAR DAHIYA (Aadhaar: 21306200097) s/o Kapoor Singh r/o 463, Gali-7, Ashok Mohalla, Nangloi, Delhi-110041, employed as Driver in Delhi Transport Corporation...

पंजाब नैशनल बैंक शाखा- हापुड़ सांकेतिक कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) संचयित कर के सभी मांग और पारसल प्लान और निष्ठा कार्य अंतर मांग और पारसल प्लान...

Public Notice: It is hereby informed to the general public that, I Sameera Singh, D/o K. Mohinder Singh, R/o B-40, Greater Kailash - 1, New Delhi 110048 have lost the Original Provisional Allotment Letter no. 4062311667/PA00 21106 dated 03.09.2010 issued by Jaiprakash Associates Limited in respect of residential unit bearing no. 1108 in Kensington Park Apartments - 2, situated at Jaypee Greens, Noida on 20.01.2019...

FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) RUNEECHA TEXTILES LIMITED

Form No. INC -26 [Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014] BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, NEW DELHI IN THE MATTER OF Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(6) (a) of Companies (Incorporation) Rules, 2014

CAN FIN HOMES LTD. Sco-34 & 35, 1st Floor, Above Canara Bank Sector 10A, Gurgaon-122001, Ph-0124-2370035, 2370760 Registered Office: Bangalore-4 CIN: L85110KA1987PLC008699

FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) RUNEECHA TEXTILES LIMITED

ORIENT BELL LIMITED (CIN: L14101UP1977PLC021546) Regd. Off. 8, Industrial Area, Sikandrabad - 203205, UP Corporate office: Iris House, 16 Business Centre, Nangal Raha, New Delhi 110046

Statement of (Standalone) Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2018 (In ₹ Lakhs)

POLYCON International Ltd. NOTICE: It is hereby informed that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company will be convened on Wednesday, 8th day of February, 2019 at 11.30 A.M. at 7th Floor, Eco Tower, Ambience Mall, N.H.-48, Gurugram-122002

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF EARTH WATER LIMITED (Formerly Known as Fontus Water Private Limited)

Bank of Baroda E-AUCTION - SALE NOTICE Sale of secured immovable/moveable assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

STATE BANK OF INDIA (RULE - 8 (1) POSSESSION NOTICE) (For movable property) Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the State Bank of India under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 05.06.2017 calling upon the Borrower M/s Maheswari Tractors & Motors (Proprietor Sh. Manoj Kumar S/o Shri Prakash chand and Smt Neetu maheshwari W/o Shri Manoj Kumar (Guarantor) to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 5,69,727.94/- (Rs. Five lac sixty nine Thousand Seven Hundred twenty seven and paise ninety four only) and further interest from 05.06.2017 (Date) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

## कर चोरी पकड़ने के लिए जीएसटी नेटवर्क का एक और कदम

# मासिक रिटर्न के साथ भेजे गए ई-वे बिल के आंकड़ों का होगा मिलान

जनसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

जीएसटी नेटवर्क ने कर चोरी पकड़ने की दिशा में एक और कदम उठाया है। अब कारोबारियों की मासिक बिक्री रिटर्न के साथ उनकी ओर से भेजे गए माल के ई-वे बिल के आंकड़ों का मिलान भी किया जाएगा। अब 50 हजार रुपये से अधिक का माल भेजने वाले व्यापारियों को जीएसटीआर-एक के तहत अंतिम मासिक बिक्री रिटर्न भरकर समेत भेजे जाने वाले बिल की जानकारी शामिल करने का विकल्प भी होगा।

कर विशेषज्ञों का मानना है कि ई-वे बिल के रसीदों का जीएसटीआर-एक के बिक्री आंकड़ों से मिलान करने पर कर अधिकारियों को यह पता करने में मदद मिलेगी कि बिक्री रिटर्न व उस पर किया गया जीएसटी भुगतान सही है या नहीं। इससे आपूर्ति के

## गंगा पुनरुद्धार पर बनी समिति का हिस्सा बनी रहेंगी अनिता राय

जनसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 30 जनवरी।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने स्पष्ट किया कि अनिता राय गंगा नदी के पुनरुद्धार के काम को देखने के लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति का हिस्सा बनी रहेंगी। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाले एक पीठ ने राय द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर कहा कि उन्हें उत्तराखंड सरकार द्वारा मानदेय का भुगतान किया जाएगा। राय पूर्व आइपीएस अधिकारी और आइआईटी की प्रतिनिधि हैं। पीठ ने कहा-यह स्पष्ट किया जाता है कि अनिता राय पहले चरण के लिए खंड-अ और खंड-ब के लिए समिति का हिस्सा बनी रहेंगी। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि मानदेय एक राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा जो उनके अंतिम पद के वर्तमान मूल वेतन के बराबर है जो दो लाख रुपये प्रतिमाह होगा। पीठ ने हाल में कहा- यात्रा भत्ता/खर्च उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा। जो इस बात पर निर्भर करेगा कि वे किस इलाके में यात्रा कर रही हैं।

राज्य सरकार को जीएसटी नेटवर्क के मासिक रिटर्न के साथ भेजे जाने वाले बिल के आंकड़ों का मिलान भी किया जाएगा। अब 50 हजार रुपये से अधिक का माल भेजने वाले व्यापारियों को जीएसटीआर-एक के तहत अंतिम मासिक बिक्री रिटर्न भरकर समेत भेजे जाने वाले बिल की जानकारी शामिल करने का विकल्प भी होगा।

कर विशेषज्ञों का मानना है कि ई-वे बिल के रसीदों का जीएसटीआर-एक के बिक्री आंकड़ों से मिलान करने पर कर अधिकारियों को यह पता करने में मदद मिलेगी कि बिक्री रिटर्न व उस पर किया गया जीएसटी भुगतान सही है या नहीं। इससे आपूर्ति के

कर चोरी पकड़ने के लिए जीएसटी नेटवर्क का एक और कदम उठाया है। अब कारोबारियों की मासिक बिक्री रिटर्न के साथ उनकी ओर से भेजे गए माल के ई-वे बिल के आंकड़ों का मिलान भी किया जाएगा। अब 50 हजार रुपये से अधिक का माल भेजने वाले व्यापारियों को जीएसटीआर-एक के तहत अंतिम मासिक बिक्री रिटर्न भरकर समेत भेजे जाने वाले बिल की जानकारी शामिल करने का विकल्प भी होगा।

कर चोरी पकड़ने के लिए जीएसटी नेटवर्क का एक और कदम उठाया है। अब कारोबारियों की मासिक बिक्री रिटर्न के साथ उनकी ओर से भेजे गए माल के ई-वे बिल के आंकड़ों का मिलान भी किया जाएगा। अब 50 हजार रुपये से अधिक का माल भेजने वाले व्यापारियों को जीएसटीआर-एक के तहत अंतिम मासिक बिक्री रिटर्न भरकर समेत भेजे जाने वाले बिल की जानकारी शामिल करने का विकल्प भी होगा।

## 31.12.2018 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लेखा अपरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का सार

क्र. सं.	विवरण	इस तारीख को समाप्त तिमाही			इस तारीख को समाप्त नौ माह			इस तारीख को समाप्त वर्ष		
		31.12.2018	30.09.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.03.2018	
		(लेखा अपरीक्षित)			(लेखा अपरीक्षित)			(लेखा परीक्षित)		
1.	प्रचालनों से प्राप्त कुल राजस्व	2,71,649	3,38,141	2,50,566	8,19,996	6,77,878	10,40,061			
2.	कर तथा असाधारण मदों से पूर्व की अवधि का निवल लाभ	70,603	79,435	43,500	1,75,059	1,20,130	1,94,784			
3.	कर से पूर्व तथा असाधारण मदों के बाद की अवधि का निवल लाभ	70,603	79,435	43,500	1,75,059	1,20,130	1,94,784			
4.	कर तथा असाधारण मदों के बाद की अवधि का निवल लाभ	50,763	57,131	30,284	1,25,867	84,055	1,39,929			
5.	अवधि की कुल व्यापक आय [जिसमें अवधि का लाभ (कर पश्चात्) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्) शामिल है]	46,546	58,408	30,103	1,24,482	81,309	1,40,074			
6.	चुक्ता इकट्टी शेयर पूंजी	24,366	24,366	24,570	24,366	24,570	24,366			
7.	पुनर्मुल्यांकन प्रारक्षण को छोड़कर अन्य इकट्टी	-	-	-	-	-	7,51,735			
8.	प्रति शेयर अर्जन (₹ 1/- प्रत्येक का, वार्षिकीकृत नहीं) (चालू और बंद प्रचालनों के लिए) मूल व परिवर्तित (₹ में)	2.09	2.34	1.23	5.17	3.42	5.70			

## टिप्पणी- 1. उक्त विवरण सेवा (सूचीकरण का दायित्व एवं प्रकटन की आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल तिमाही / वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही / वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.bseindia.com और www.nseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.bel-india.in) पर उपलब्ध है।

2. वित्तीय परिणामों के उपयुक्त विवरणों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई जिसे दिनांक 30 जनवरी, 2019 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

स्थान- नई दिल्ली दिनांक- 30 जनवरी, 2019

निदेशक मंडल के लिए व उसकी ओर से  
हस्ता/-  
एच.वी. गौतमा  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

उत्तर प्रदेश सरकार को मानवाधिकार आयोग को नोटिस  
नई दिल्ली, 30 जनवरी। बरेली जिले में तीन मजदूरों की बिजली के करंट से तीन मजदूरों की झुलसने से हुई मौत और दो के गंभीर रूप से घायल होने की घटना को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है। इस संबंध में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया गया है। (जनसत्ता ब्यूरो)

**कॉन्टिनेंटल पेडोलियम लिमिटेड**  
पंजीकृत कार्यालय: 2, आर.ए. रोड, बरेली, उत्तर प्रदेश, पिन-202005 (बरेली)। फोन: 0141-2222332, 0141-2221961। QIN: L23201RL1986PL0013704, ई-मेल: comptel@contilim.com वेबसाइट: www.contilim.com

**सूचना**  
भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम मंडल (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अधेश्वर) विनियम, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अंतर्गत एवं एनए द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी को निदेशक मंडल की बैठक में शामिल करने के लिए 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त होने वाले वार्षिक अंतर्वार्षिक वित्तीय परिणामों पर विचार एवं उचित अनुमोदित किया जायेगा। पुनः कंपनी को प्रतिभूति एवं संबंध में अंतरिक ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए अंतरिक आचार संहिता को अमल में लाने हेतु ट्रेडिंग विंडो 2 फरवरी, 2019 से 15 फरवरी, 2019 तक बंद रहेगी। यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट अर्थात् [www.contilim.com](http://www.contilim.com) तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

कृते कॉन्टिनेंटल पेडोलियम लिमिटेड  
हस्ता/- सोनाली जैन (कम्पनी सचिव)

**FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT**  
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Code of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF EARTH WATER LIMITED (Formerly Known as Fontus Water Private Limited)

1. Name of corporate debtor	EARTH WATER LIMITED
2. Date of incorporation of corporate debtor	21st June, 2001
3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	REGISTRAR OF COMPANIES, NCT OF DELHI & HARYANA
4. Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. Of Corporate Debtor	CIN- U74899DL2001PLC113833
5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	REGISTERED OFFICE AS PER ROC COMPANY MASTER DATA - A-1/152 IGNOU ROAD NEB SARAI NEW DELHI DL 110068 INDIA. CORPORATE OFFICE - EROS CITY SQUARE, 7TH FLOOR, SECTOR-49 & 50, ROSEWILD CITY, NEAR GOLF COURSE EXTN. ROAD, GURUGRAM, HARYANA-122018 INDIA.
6. Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	28th January, 2019. (Copy of order received by Interim Resolution Professional on 29th January, 2019.
7. Estimated date of closure of insolvency resolution process	27th JULY, 2019 (180th Days From the date of commencement of Insolvency)
8. Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	MUKESH KUMAR GROVER REG. NO-IBB/IPA-001/JP-P00383/2017-18/10640
9. Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	102, B-3 PRERNA COMPLEX SHUBHASH CHOWK LAXMI NAGAR, DELHI-110092. mukesh@mjrta.co.in
10. Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	102, B-3 PRERNA COMPLEX SHUBHASH CHOWK LAXMI NAGAR, DELHI-110092. mlkgrover.jip@gmail.com
11. Last date for submission of claims	14th day of February, 2019
12. Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6a) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Name of Class(es) : N/A
13. Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable.
14. (a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representative available	Web Link : <a href="https://ibbi.gov.in/downloadform.html">https://ibbi.gov.in/downloadform.html</a> Physical. Court No IV, New Delhi Bench has ordered the commencement of Corporate/Insolvency Resolution Process of Corporate Debtor namely EARTH WATER LIMITED on 28th January, 2019 (IRP received communication from Hon'ble NCLT, New Delhi on 29th January, 2019). All the creditors of EARTH WATER LIMITED, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 13th February, 2019 to the Interim Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 10 above.

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Court No IV, New Delhi Bench has ordered the commencement of Corporate/Insolvency Resolution Process of Corporate Debtor namely EARTH WATER LIMITED on 28th January, 2019 (IRP received communication from Hon'ble NCLT, New Delhi on 29th January, 2019). All the creditors of EARTH WATER LIMITED, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 13th February, 2019 to the Interim Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 10 above.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

The claims may be submitted in the specified Form B, C, CA, D and E in terms of Regulations 7, 8, 8A, 9 and 9A of the Insolvency Resolution Process for Corporate Person Regulations, 2016 by all the Operational Creditor, Financial Creditors, Workmen or Employees, Authorized representative of group of workmen & employees, & Other creditor respectively as the case may be. A financial creditor belonging to a class as listed against the entry No. 12 (NA), shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorized representative of the class [specify class] in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sd/-  
Mukesh Kumar Grover  
(Interim Resolution Professional)  
Date: 30/01/2019  
Place: New Delhi  
REG. NO-IBB/IPA-001/JP-P00383/2017-18/10640

## (अनुसूची) प्रारंभ सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवाल्या मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के अंतर्गत] [प्योरशॉट फूड एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड के क्रेडिटर्स के ध्यानार्थ]

क्र. सं.	विवरण	संबंधित तिथि
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	प्योरशॉट फूड एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	13.5.2006
3.	यह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक नियमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, कानपुर
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय का लिमिटेड लाइसेंसिड पते का संख्या	U15100UP2016PTC083185
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजी. कार्या. : 523, 5वां तल, वेब इलेक्ट्रॉनिक्स, सेक्टर-18, नोएडा, गौतम बुध नगर, उ.प्र.-201301, आईएन
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला प्रक्रिया आरंभ होने की तिथि	सोपान नं. (IB)-313/ALD/2018 में माननीय एनपीआरटी इलाहाबाद के आदेश के अनुसार 28 जनवरी, 2019 (अंतिम प्रस्ताव प्रिफरेंसल से आदेश 29 जनवरी, 2019 को प्राप्त हुई)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समाप्त की अनुमानित तिथि	26 जुलाई, 2019 (रिजाल्यूशन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि से 180 दिन)
8.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम, पंजीकरण संख्या, जैसा कि बॉर्ड में पंजीकृत	श्री प्रमोद कुमार शर्मा: IBB/IPA-002/JP-N00110/2017-18/10258
9.	बॉर्ड में यथा पंजीकृत अंतिम प्रस्ताव प्रिफरेंसल का पता एवं ईमेल:	एच.नं. 16, दशरथ कुंज-बी, चेरट अडवुन नगर, आगरा-282001, उत्तर प्रदेश, भारत pksharma@cs@gmail.com
10.	अंतिम प्रस्ताव प्रिफरेंसल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	एच.नं. 16, दशरथ कुंज-बी, चेरट अडवुन नगर, आगरा-282001, उत्तर प्रदेश, भारत pureshot.cpa@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	11 फरवरी, 2019
12.	क्रेडिटर का वॉच यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत अंतिम प्रस्ताव प्रिफरेंसल द्वारा सूचित किया गया	एसआरएन U39811260, तिथि 29 जनवरी, 2019 के माध्यम से की गई निरोधक के आधार पर कॉर्पोरेट ऋणधारक को वेबसाइट पर उपलब्ध चित्त वर्ष किया गया
13.	किसी वर्ग में क्रेडिटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के नाम का वॉच करने के लिये प्रयुक्त किया गया नाम	उपर आइटम नं. 12 को देखते हुए लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रश्न तथा (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	क) संबंधित प्रश्न उपलब्ध है: <a href="http://ibbi.gov.in/downloadform.html">http://ibbi.gov.in/downloadform.html</a> तथा एच.नं. 16, दशरथ कुंज-बी, चेरट अडवुन नगर, आगरा-282001 में। ख) ऊपर आइटम नं. 12 को देखते हुए लागू नहीं।

एनए द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकांश, 28 जनवरी, 2018 को प्योरशॉट फूड एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट अंतर्वार्षिक वित्तीय परिणामों पर विचार एवं उचित अनुमोदित किया जायेगा। पुनः कंपनी को प्रतिभूति एवं संबंध में अंतरिक ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए अंतरिक आचार संहिता को अमल में लाने हेतु ट्रेडिंग विंडो 2 फरवरी, 2019 से 15 फरवरी, 2019 तक बंद रहेगी। यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट अर्थात् [www.pureshot.com](http://www.pureshot.com) तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

कृते कॉन्टिनेंटल पेडोलियम लिमिटेड  
हस्ता/- सोनाली जैन (कम्पनी सचिव)

निदेशक मंडल के लिए व उसकी ओर से  
हस्ता/-  
एच.वी. गौतमा  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक मंडल के लिए व उसकी ओर से  
हस्ता/-  
एच.वी. गौतमा  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक मंडल के लिए व उसकी ओर से  
हस्ता/-  
एच.वी. गौतमा  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

**कॉन्टिनेंटल सिक्स्योरिज लिमिटेड**  
पंजीकृत कार्यालय: फ्लैट नं. 301, मंगू चण्डा, फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश-302001 (राजस्थान), CIN: L67120RJ1990PLC005371, फोन: 0141-2377301, ई-मेल: [continentalsecuritieslimited@gmail.com](mailto:continentalsecuritieslimited@gmail.com), वेबसाइट: [www.continentalsecuritiesltd.com](http://www.continentalsecuritiesltd.com)

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम मंडल (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अधेश्वर) विनियम, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अंतर्गत एवं एनए द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी को निदेशक मंडल की बैठक में शामिल करने के लिए 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त होने वाले वार्षिक अंतर्वार्षिक वित्तीय परिणामों पर विचार एवं उचित अनुमोदित किया जायेगा। पुनः कंपनी को प्रतिभूति एवं संबंध में अंतरिक ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए अंतरिक आचार संहिता को अमल में लाने हेतु ट्रेडिंग विंडो 5 फरवरी, 2019 से 15 फरवरी, 2019 तक बंद रहेगी। यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट अर्थात् [www.contilim.com](http://www.contilim.com) तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

कृते कॉन्टिनेंटल सिक्स्योरिज लिमिटेड  
हस्ता/-  
सोनाली जैन (कम्पनी सचिव)

## अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए  
मेरे सम्बन्ध परिवार किया गया है कि अभियुक्त अजय कुमार, पुत्र: बृज लाल, पता: म.न.-डब्ल्यू-22 लेन, 27 डीएच टीड सैनिक कम्पा, नई दिल्ली, FIR No. 519/15 U/s 380/411 IPC पुलिस थाना, नर सारा, नई दिल्ली के अग्रिम दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) उस पर जारी है।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है FIR No. 519/15 U/s 380/411 IPC पुलिस थाना, नर सारा, नई दिल्ली के अभियुक्त अजय कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के सम्बन्ध (या मेरे सम्बन्ध) उक्त परिवार का उत्तर देने के लिए दिनांक 07.03.2019 को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार श्री अजय कुमार सिंह महानगर दुधधिकारी, साकेत, नई दिल्ली

DP/5236/SD/19

**Punj Lloyd**  
पंजीकृत कार्यालय: पुंज लॉयड हाऊस, 17-18, मेहल प्लेस, नई दिल्ली-110 019  
टेलीफोन: +91 124 262 0123 फ़ैक्स: +91 124 262 0111  
वेबसाइट: [www.punjlloyd.com](http://www.punjlloyd.com) ईमेल: [info@punjlloyd.com](mailto:info@punjlloyd.com)  
CIN: L74899DL1986PLC033314

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सिस्टिम डायलिट और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 के विनियम 47 (1)(ए) के क्रमानुसार सूचित किया जाता है कि कंपनी को निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 6 फरवरी, 2019 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों का साथ-साथ, 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के एकल अलेक्जेंडरिअल वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदित किया जाएगा।

कृते पुंज लॉयड लिमिटेड  
हस्ता/-  
दिनेश धैरानी

**विजया बैंक**  
एम्पायरसह, बल्लभगढ़, 145, मोहन रोड, बल्लभगढ़, फरीदाबाद जिला, हरियाणा-121004, ई-मेल: [vb8305@vijayabank.co.in](mailto:vb8305@vijayabank.co.in)  
(भारत सरकार का उपकरण) फोन: 0129-2241290, [www.vijayabank.com](http://www.vijayabank.com)

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियामकवली, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत] जैसा कि, वित्तीय परिसंस्थितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत विजया बैंक, बल्लभगढ़ शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियामकवली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोध्याधारी ने मांग सूचना तिथि 2.11.2018 जारी कर ऋणधारक 2) श्री प्रदीप सिंह, प्रतिनिधित्व द्वारा प्रारंभित श्री दुर्गा प्रसाद सिंगला, शॉप नं. 94, न्यू अनाज मंडी बल्लभगढ़, 3) श्रीमती लता सिंगला, पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद सिंगला, मकान नं. 59, बल्लभगढ़, बल्लभगढ़, 4) श्री अमित मंगल, पुत्र श्री अरुण चंद मंगल, एमपीएन-24, भवानी मंदिर, वार्ड नं. 14, अग्रसेन चौक को सूचना की प्रति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 20,95,318.68 (रुपये बीस लाख पचास हजार तीन सौ अठारह सौ रुपये अड़सठ मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एनए द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 25 जनवरी, 2019 को अयोध्याधारी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियामकवली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उक्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोध्याधारी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एनए द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवहार न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवहार न करें। 31.12.2018 को रु. 21,37,592.68/- (रुपये इकठ्ठीसठ लाख तीसरी सौ पांच सौ चार सौ रुपये अड़सठ मात्र) तथा 1.1.2019 से उर पर (रुपये के लिये विजया बैंक के चार्ज के अंतर्गत होगा) ऋणधारक का स्यान प्रतिभूति परिसंस्थितियों को विनिर्गत करने के लिए उपलब्ध समग्र के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अवलम्ब्यमान का विवरण श्रीमती लता सिंगला, पत्नी श्री दुर्गा प्रसाद सिंगला के नाम में शाप नं. 94 न्यू अनाज मंडी, गढ़, बल्लभगढ़ में स्थित सम्पत्ति माप 77.77 वर्ग यार्ड्स की सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहदरी: उत्तर: श्री कुन्दलाल केदारनाथ की सम्पत्ति पूर्व: सीटी रोड बाजार रोड, दक्षिण: चन्दरमल राम चंद्र का शॉप, परिधमन: गली।

पूर्व: नं. 94 (घाट) श्री रविन्दर दक्षिण: सड़क परिधमन: नं. 93 श्री विनायक कुमार तिथि: 25.1.2019, स्थान: बल्लभगढ़ प्राधिकृत अधिकारी, विजया बैंक

**विजया बैंक**  
एम्पायरसह, बल्लभगढ़, 145, मोहन रोड, बल्लभगढ़, फरीदाबाद जिला, हरियाणा-121004, ई-मेल: [vb8305@vijayabank.co.in](mailto:vb8305@vijayabank.co.in)  
(भारत सरकार का उपकरण) फोन: 0129-2241290, [www.vijayabank.com](http://www.vijayabank.com)

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियामकवली, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत] जैसा कि, वित्तीय परिसंस्थितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत विजया बैंक, बल्लभगढ़ शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियामकवली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोध्याधारी ने मांग सूचना तिथि 4.9.2018 जारी कर ऋणधारक 1) म. विवेकी ट्रेडर्स, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके प्रारंभित श्री शेखर गोयल, कार्यालय: अग्रसेन चौक के निकट, सीटी रोड, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, 2) श्री शेखर गोयल, पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र कुमार, मकान नं. 141, वार्ड नं. 3, पंजाबी बाग, बल्लभगढ़, गान्धरी 3) श्रीमती सोनिया गोयल, पत्नी श्री शेखर गोयल मकान नं. 141, वार्ड नं. 3, पंजाबी बाग, बल्लभगढ़, 4) श्री सुरेश कुमार गोयल, पुत्र श्री राम कुमार मंगल, मकान नं. 238, सेक्टर 8, फरीदाबाद को सूचना की प्रति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 49,94,631.01 (रुपये उन्नास लाख चौदस हजार तीन सौ इकठ्ठीसठ रुपये एक मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एनए द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 24 जनवरी, 2019 को अयोध्याधारी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियामकवली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उक्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोध्याधारी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एनए द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवहार न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवहार न करें। 31.12.2018 को रु. 37,47,602.01 (रुपये बीस लाख तीसरी सौ